


### Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in



9893076404





# Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in



9893076404

- 2.1.2.1 Number of actual students admitted from the reserved categories year wise during last five years (Exclusive of supernumerary seats
- 2.1.2.2 Percentage of seats filled against seats reserved for various categories (SC, ST, OBC etc. as per applicable reservation policy) during the last five years (exclusive of supernumerary seats)

#### Year 2018-19

Category	Number of Seats earmarked	Admitted Students
SC	158	111
ST	200	303
OBC	142	367

#### Year 2019-20

Category	Number of Seats earmarked	Admitted Students
SC	176	91
ST	220	232
OBC	154	374

### Year 2020-21

Category	Number of Seats earmarked	Admitted Students
SC	196	119
ST	245	294
OBC	172	456

#### Year 2021-22

Category	Number of Seats earmarked	Admitted Students
SC	197	164
ST	247	316
OBC	173	423

#### Year 2022-23

Category	Number of Seats earmarked	Admitted Students
SC	203	117
ST	250	395
OBC	172	468



Jaithari Road Anuppur, District- Anuppur, Madhya Pradesh, Pin Code:- 484224 www.gtcanuppur.ac.in



Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in

**2**9893076404

## कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 708/484/आउशि/शा-5/2018

भोपाल, दिनांक: 18 अगस्त, 2018

प्रति,

प्राचार्य / सचिव, जनभागीदारी समिति, समस्त शासकीय महाविद्यालय, म.प्र.

विषयः शैक्षणिक सत्र 2018-19 अंतर्गत पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत्।

संदर्भः कार्यालय, आयुक्त, उच्चिशिक्षा का पत्र क. 680/484/आउशि/शाखा-5/2018, दि. 11.8.2018

विषयान्तर्गत संदर्भित बाबत् लेख है कि कतिपय शासकीय महाविद्यालयों द्वारा यह पृच्छा की गई है कि कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा के सदर्भित आदेश क. 680/484/आउशि/शाखा-5/2018. दिनांक 11.8.2018 के तहत दिये सीट संख्या में वृद्धि. क्या परम्परागत पाठ्यकमों के साथ-साथ जन भागीदारी के पाठ्यकमों में लागू है ?

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश में दिये प्रावधान जनमागीदारी मद से संबालित पाठ्यकमों हेतु भी लागू है अर्थात विद्यार्थियों के हित में सी.एल.सी. द्वितीय चरण के सीट आवंटन से पूर्व महाविद्यालयों में प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत 2018—19 की कॅडिक 4.1 के अनुक्रम में सीट संख्या में परिवर्तन हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है—

- 1. शासकीय महाविद्यालय सामान्यतः आवश्यकतानुसार 10% सीट संख्या में वृद्धि कर सकेंगे।
- 25% तक सीट संख्या विशेष परिस्थितियों जैसे अत्यधिक संख्या में विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश आवेदन प्राप्त होने तथा महाविद्यालय में पर्याप्त स्थान एवं शिक्षण व्यवस्था होने पर ही की जा सकेंगी।
- 3. सीट वृद्धि निम्न शर्तो पर की जा सकेगी -
  - जनभागीदारी समिति से निम्न कार्य हेतु आवश्यक अनुमित एवं राशि प्राप्त की जाना सुनिश्चित की जाए।
  - महाविद्यालय में अधीसंरचना / कक्ष / प्रयोगशाला / पुस्तकालय की पर्याप्त सुविद्या ।
  - शिक्षण हेतु प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक / अतिथि व्याख्याता की पर्याप्त व्यवस्था ।
  - परीक्षा संचालन हेतु समृचित सुविधा।
  - समस्त सीट वृद्धि की मान्यता संबंधित विश्वविद्यालय से समय सीमा में प्राप्त करना प्राचार्य का दायित्व होगा।
  - सीट वृद्धि निर्णय की सूचना संवालनालय को भी दी जाये।
  - सी.एल.सी. घरण समाप्त होने के पूर्व सीट वृद्धि की कार्यवाही पूर्ण कर छात्रों को नियमानुसार प्रवेश सुनिश्चित करें।

(अजीत कुमार) आयुक्त/सचिव उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

P.T.o



## Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in

**2**9893076404

